

14/2019

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/राजस्व/2019/ 339
तहसीलदार
श्रीमाधोपुर।

दिनांक:-01.02.2019

आदेश

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015-16 के परिप्रेक्ष्य राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र प. 3 (2) राज-6/2003 /पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619-44 दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक 4328-53/राजस्व /2016 दिनांक 02.11.2016 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 65/राजस्व/2019 दिनांक 23.01.2019 के द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया है। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुताबिक प्रस्ताव रास्ता प्रचलित है तथा वर्तमान में मौके पर प्रचलित रास्ता चालू है। प्रचलित प्रस्तावित रास्ता ढाणी डेरावाली से श्रीमाधोपुर पक्की सड़क को ढाणी गलकट्या व ढाणी जाखड़ों की से जोड़ता है। मौके पर रास्ता चालू होकर सार्वजनिक हित में काम आ रहा है। उक्त रास्ते हेतु पूर्व में आपत्तिकर्त्ताओ श्री नानू पुत्र गोमा, श्री गुल्ला पुत्र हणमान व श्री भोलाराम पुत्र हनुमान सहाय जाति जाट ने दिनांक 25.01.2019 को कार्यालय में उपस्थित होकर रास्ते बाबत सहमति दी है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित दर्शित रकबे को रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने बाबत अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 की प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न सूची व नक्शा ट्रेस में पूर्व से डोटेड लाईन से अंकित/दर्ज चारागाह भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को संलग्न प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये जाते हैं कि निम्न खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। गै.मु. रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेंगे।

क्र. स.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा न.	रकबा	रकबा जो रास्ते में काम आ रहा है।
1.	डेरावाली	मऊ	386	0.29 हैक्टर बारानी 2	0.0150 हैक्टर
2	डेरावाली	मऊ	380	1.45 हैक्टर बारानी 1	0.0200 हैक्टर
3	डेरावाली	मऊ	383	0.71 हैक्टर बारानी 2	0.0490 हैक्टर
4	डेरावाली	मऊ	384	2.44 हैक्टर बारानी 2	0.0300 हैक्टर
5	डेरावाली	मऊ	370	1.43 हैक्टर बारानी 2	0.0440 हैक्टर
6	डेरावाली	मऊ	365	1.45 हैक्टर बारानी 2	0.0200 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

7	डेरावाली	मऊ	358	0.35 हेक्टर आबादी	गे.मु	0.0640 हेक्टर
8	डेरावाली	मऊ	361	1.47 हेक्टर	बारानी 2	0.1120 हेक्टर
9	डेरावाली	मऊ	362	0.78 हेक्टर	बारानी 2	0.010 हेक्टर
10	डेरावाली	मऊ	333	2.13 हेक्टर	बारानी 2	0.0300 हेक्टर

संलग्न- प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस। प-न 335 का दाखला

Gm-
(ब्रह्मलाल जाट)
उपस्थानक अधिकारी
बीकानेर (सीकर)